FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

मुमलकंवर पुत्री हनुमानसिंह ना.बा.
जरिये संरक्षक कुदरतीवली माता ममता कंवर
सा. टोडास तह. कुचामन

बनाम

हणमानसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र
उम्मेदसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. टोडास तह. कुचामन

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए

मुकदमा नम्बर 0126/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.03.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम टोडास के खसरा नम्बर 514, 515, 516, 518 कुल रकबा 9.87 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 519 रकबा 4.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0634 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार का बैचान/हस्तानांतरण/रहन नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 3, 4 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात को पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 5 उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.04.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
26/3/24	पत्रावली Adv. प्रार्थिया द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई Adv. प्रार्थिया ने प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है इसलिए उक्त पत्रावली को जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थिया [illegible] के निवेदन पर पत्रावली को आज ही [illegible] कर प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र [illegible] विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो व दाखिल द[illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner